

Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550



Website : www.ruhsrai.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
Rajasthan University of Health Sciences

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No.: F-8() COVID-19/Academic-II/RUHS/2020/ 156

Date : 11.04.2020
Most Urgent/COVID-19

परिपत्र

(लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाईन लैक्चर तथा ई-लर्निंग की व्यवस्था किये जाने के संबंध में)

वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 महामारी के चलते महाविद्यालयों में शिक्षण व प्रशिक्षण कार्य नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति में कक्षाओं के संचालन द्वारा संभव नहीं है क्योंकि इससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की संभावना होती है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान यथासम्भव ऑनलाईन लैक्चर तथा ई-लर्निंग व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरन्तरता बनी रहे एवं उनके समय का सदुपयोग हो सके।

कोविड-19 के कारण किये गये लॉकडाउन के दौरान शिक्षण व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न उच्च परिषदों जैसे एम.सी.आई., डी.सी.आई., आई.एन.सी., पी.सी.आई. आदि तथा यू.जी.सी., भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं जो संबंधित परिषदों/विभागों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अतः समस्त महाविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि संबंधित परिषदों/विभागों की वेबसाइट तथा इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों/सूचनाओं का निरन्तर अवलोकन करते रहे एवं तत्संबंधी पालना सुनिश्चित करें।

इस परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना राज.स्वा.वि.वि. के सभी संकायों के महाविद्यालयों द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें।

(कालू राम)
कुलसचिव

No.: F-8() COVID-19/Academic-II/RUHS/2020/ 157 - 165

Date : 11.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. समस्त संकायाध्यक्ष, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
6. प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. के समस्त संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालय
7. परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
8. नोडल अधिकारी-विश्वविद्यालय वेबसाइट को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र की एक प्रति समस्त नर्सिंग व फार्मसी महाविद्यालयों की सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. कार्यालय रक्षित पत्रावली।

(गजेन्द्र सिंह जोधा)
सहायक कुलसचिव


कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।

क्रमांक : एमसीए/शैक्षणिक-II/2019/16614-48

दिनांक: 15/4/2020

छायाप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. छायाप्रति समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में भेजे गये टाइम टेबल के अनुसार ही छात्र-छात्राओं को Electronic माध्यम से E-learning करवाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे एवं सम्बन्धित विद्यार्थियों को Home work भी देना सुनिश्चित करावे एवं उक्त कार्य का फीडबैक विद्यार्थियों से लेना भी सुनिश्चित करावे।
2. रजिस्ट्रार, आर.यू.एच.एस. जयपुर को उनके पत्रांक 157-165 दिनांक 11.04.2020 के क्रम में।
3. अतिरिक्त प्रधानाचार्य (समस्त) इस महाविद्यालय को।
4. प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक शाखा, इस महाविद्यालय को।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर सैल, इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावे। | P. A. Sb.
6. समस्त नोटिस बोर्ड इस महाविद्यालय।


प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक 15/4/20